(नियम 26)

00570

अज अदालत SDO मुकाम बनेड़ा

लादु / मगना गुर्जर बनाम ग्रा० प० कासोरिया

किस्म मुकदमा 75 LR Act नं. 22/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम कासोरिया में नयी प्राप्त होने पर पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा केम्प के दौरान उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम-पंचायत कासोरिया द्वारा खोले गये नामान्तरकरण सं. 930 दिनांक 22/7/15 में अपीलार्थी लादु पि० मगना गुर्जर का 8 वर्ष पूर्व फौत मानते हुए उसके विधिक वारिसान देवकरण, काना, हरा, रायपाल, हन्जा, डाली, सीता, पारसी, पि० लादु और पत्नि लादु गुर्जर के नाम विधिवत् मार्ग के अभाव में दर्ज रिकोर्ड किया गया जो की गलत एवं झूठे तथ्यो पर आधारित होकर काबिले खारीजी के है। अतः नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 22/5/15 आदेश अपास्त कर वाकयात आराजियात ग्राम कासोरिया प० स० कासोरिया के खतौनी संख्या 222 पर दर्ज रिकोर्ड आराजी खे. $\frac{1712}{293}$ रकबा 5-00 बीघा को वर्तमान राजस्व अभिलेखो में पूर्ववत अपीलार्थी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जावें। प्रकरण का मेरीट पर परीक्षण किया गया अपीलार्थी को सुना गया। हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत है की अपील धीन धारा	लादु [signature] [signature] सरोज देवी ओझा सरपंच ग्राम पंचायत कासोरिया पंचायत समिति, बनेड़ा

[signature]

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार के हस्ताक्षर जो हुक्म की तामील करें में ज...
	पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के जांच के बिना ही आदेश पारित कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है, ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किये योग्य है। आदेश अपील अपीलार्थी स्वीकार कर ग्राम पंचायत कासोरिया द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं० 930 दिनांक 22/8/15 को अपास्त किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है एवं वाक्यहत आराजियात ग्राम कासोरिया प० ह० कासोरिया के खतौनी संख्या 222 पर दर्ज रेकोर्ड आराजी नम्बर 1712/293 रकबा 5-00 बीघा को वर्तमान राजस्व अभिलेखो मे पूर्ववत अपीलार्थी के नाम दर्ज रेकोर्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुताबीक निर्णय पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित है। निर्णय आज दिनांक 28/6/17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम कासोरिया मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार होवे। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)	